न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 216/2019

ए0आर0टी हाउसिंग फाईनेन्स (इण्डिया) लिमिटेड,
रजिस्टर्ड कार्यालयः– 107, वेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष पैलेस,
पितम्बपुरा, दिल्ली 110034 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) श्री अहसान पुत्र श्री तैमूर, जाति मुसलमान,
निवासीः– प्लॉट संख्या 1, श्री विष्णु पथ, शक्ति नगर, ग्राम किरानीपुरा,
तहसील व जिला अजमेर।

(2) श्रीमती नईमा पत्नि श्री अहसान, जाति मुसलमान,
निवासीः– प्लॉट संख्या 1, श्री विष्णु पथ, शक्ति नगर, ग्राम किरानीपुरा,
तहसील व जिला अजमेर।

..... अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री अनिल शर्मा अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 11.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री अहसान पुत्र श्री तैमूर, जाति मुसलमान एवं श्रीमती नईमा पत्नि श्री अहसान, जाति मुसलमान, निवासीः– प्लॉट संख्या 1, श्री विष्णु पथ, शक्ति नगर, ग्राम किरानीपुरा, तहसील व जिला अजमेर को दिनांक 30.04.2017 को रूपये 19,18,293/–(अक्षरे उन्नीस लाख अठारह हजार दो सौ तेरानवे मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर शक्ति नगर, ग्राम किरानीपुरा, तहसील अजमेर के खसरा नं0 776 में स्थित प्लॉट नं 1, क्षैत्रफल 257.43 वर्गगज, जो श्री अहसान पुत्र श्री तैमुर के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.06.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 08.07.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 20,02,104/–(अक्षरे बीस लाख दो हजार एक सौ चार रूपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक सम्पति शक्ति नगर, ग्राम किरानीपुरा, तहसील अजमेर के खसरा नं0 776 में स्थित प्लॉट नं 1, क्षैत्रफल 257.43 वर्गगज, जो श्री अहसान पुत्र श्री तैमुर के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner